

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या: 06-परीक्षा/2018

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (संयुक्त संबंधी) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018

ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि – 28.12.2018

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 28.12.2018

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन / ऑनलाइन शुल्क / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 12.01.2019

आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि – 19.01.2019

विशेष कथन – उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12.01.2019 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का Printout तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 12.01.2019 से एक सप्ताह के अंदर अर्थात् 19.01.2019 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में Registered mobile Number, Email , कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या 06-परीक्षा/2018 द्वारा निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन रिक्त रोड रोलर चालक के 01 पद तथा नक्शानवीस/मानचित्रक के 15 पद कुल 16 पदों पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (संयुक्त संबंधी) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेष नोट – (1) - "उपर्युक्त विज्ञापन के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नियंत्रणाधीन विभिन्न संबंधी में वर्ष 2005 में रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 7545-7646/2001 के अवमानना वाद संख्या- 1861-1863/2017 एवं उपरोक्त सिविल अपील में अवमानना वाद संख्या- 804-806/2018 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- 30 अक्टूबर, 2018 के अनुपालन में प्रकाशित किया जा रहा है।"

(2) मंडी परिषद के ऐसे कर्मचारियों जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नियंत्रणाधीन विभिन्न संबंधी में वर्ष 2005 में रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में, मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 7545-7646/2001 के अवमानना वाद संख्या- 1861-1863/2017 एवं उपरोक्त सिविल अपील में अवमानना वाद संख्या- 804-806/2018 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- 30 अक्टूबर, 2018 से आच्छादित हैं अर्थात् जो उत्तर याचिका में पार्टी (वादकारी) हैं, को उच्चतम आयु में अधिवर्षता आयु की सीमा तक छूट अनुमत्य होगी।

ऐसे आवेदकगणों को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद मा० उच्चतम न्यायालय से प्राप्त आदेश की प्रति सहित अपने ऑनलाइन आवेदन की एक हार्डकापी आयोग को, विज्ञापन की अंतिम तिथि के 10 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

नोट- मा० सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश 30 अक्टूबर, 2018 के अंतर्गत 06-परीक्षा/2018 द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (संयुक्त संबंधी) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 प्रकाशित पदों के अतिरिक्त उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित पदनामों यथा – रोड रोलर चालक के 01 पद तथा नक्शानवीस/मानचित्रक के 15 पद के सम्बुख दर्शायी गयी रिक्तियां मंडी परिषद द्वारा वर्ष 2005 में सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से अवशेष पदों से सम्बन्धित हैं।

विशेष नोट- (2)- कोई भी अभ्यर्थी यिहित योग्यता के अनुरूप केवल रोड रोलर चालक पद हेतु आवेदन कर सकता है अथवा केवल ड्राफ्ट मैन पद हेतु आवेदन कर सकता है अथवा रोड रोलर चालक एवं ड्राफ्ट मैन दोनों पदों (यथा योग्यता) के लिए आवेदन कर सकता है। दोनों पदों हेतु आवेदन करने की दशा में अभ्यर्थी को वरीयता देनी होगी।

1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना – इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त किया गया है।

(1) आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया – आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को पाँच भागों में विभक्त किया गया है।

- 1- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)
- 2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड(Photo and Signature Upload) करना
- 3- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)
- 4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)
- 5- फार्म का प्रिण्टआउट लेना (Print Application Form)

नोट – अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट <http://upssc.gov.in> पर “ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स” (all notification / advertisement details) पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भलीभांति- समझ ले कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित योग्यता रखते हैं और पद हेतु निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। तदोपरांत आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिये गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित User Instruction अवश्य पढ़ें।

आवेदन की प्रक्रिया

भाग-1- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

- I. इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से सम्बन्धित आवश्यक सूचना भरना होगा। प्रत्येक फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें।

- II. Registration पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे -नाम, पिता/पति का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, इमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हो) का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनायें सही-सही भरनी हैं।
- III. वेब पेज पर नीचे की ओर "Enter Verification Code" में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" बटन को क्लिक करें। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर "रजिस्ट्रेशन स्लिप" प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर विवरण सहित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत "Print Duplicate Registration Slip" बटन को क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट कर सकता है।

भाग -2-फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload)

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए-

- I. चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिये।
- II. ऊँट से शिखर तक साफ दिखता हो।
- III. चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो।
- IV. चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए।
- V. कैमरे पर नजर सीधी हो।
- VI. अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुँह बन्द)।
- VII. सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- VIII. फोटो का आकार 35 मिमी (1.4 इंच) x 45 मिमी (1.75 इंच) का होना चाहिये। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो।
- IX. फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

अभ्यर्थी अपना **3.5cm चौड़ा व 4.5cm लंबा रंगीन फोटोग्राफ *.jpe, *.jpeg, *.jpg, *** प्रारूप में स्कैन करें जिसका न्यूनतम आकार .05Kb तथा अधिकतम आकार 30Kb से कम होना चाहिए तथा हस्ताक्षर 1.5 cm लंबा तथा 3.5cm चौड़ा होना चाहिए।

अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद "Continue" बटन को क्लिक करते ही दूसरे पृष्ठ पर चले जायेंगे।

भाग- 3फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

- I. अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) तथा स्थाई व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)-

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा से सहमत हो तो-Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फार्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतं स्वरूप जायेगी।

अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूरणीय समस्त स्तम्भों की पूरित प्रविष्टियों को प्रीब्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यदि पूरित आंकड़ों में कोई संशोधन चाहते हैं तो "बैक" बटन को क्लिक कर प्रविष्ट विवरणों को संशोधित भी कर सकते हैं।

जब अभ्यर्थी आवेदन की पूरित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सत्तुष्ट हो जायें तो सबमिट बटन को क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेषित करेंगे।

नोट - यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है इस स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

भाग- 4फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)

(I) अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से ब्रेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ Proceed To Download and print The Application Form बटन को क्लिक कर अपना फार्म अंतिम रूप से Submit कर सकता है तथा उसका एक Printout भी ले सकता है।

(II) ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान-download कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

(III) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Fee Deposition पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI ई चालान-के माध्यम से ब्रेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है।

(IV) अभ्यर्थी फीस जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा।

(V) शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

विशेष नोट - अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card, Internet Banking या SBI के ईचालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य - किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है।

1क (आवेदन शुल्क) - ऑनलाइन आवेदन के कैडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद भाग -4 में उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है -

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	200.00	25.00	225.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	200.00	25.00	225.00
(3)	अनुसूचित जाति	80.00	25.00	105.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	80.00	25.00	105.00
(5)	विकलांगजन हेतु	-----	25.00	25.00

नोट - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1-4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

भाग- 5फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत Print Detailed Application Form बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिन्टआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अवश्य प्रिन्ट कर ले। उसके बाद अर्थात् एक सप्ताह के बाद Printout नहीं ले सकेगा।

नोटअभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य - सुनिश्चित कर लें।

2-आवेदन पत्र में संशोधन

(I) अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर Modify Submitted Application पर click

कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब Login करेगा तो उसके Registered mobile Number तथा Email पर एक OTP(One Time password) जायेगा इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है, परन्तु वह अपना Registered mobile Number, Email, कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है।

- (II) अभ्यर्थी ने जितने पदों के लिए आवेदन किया है सिर्फ उतने पद में ही संशोधन कर सकता है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के उपरांत पदों की संख्या घटा/बढ़ा नहीं सकता है।
- (III) अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फार्म संशोधित कर सकता है।
- (IV) आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात् 19.01.2019 तक ही अनुमत्य है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर 1-मे उल्लिखित रिक्त पदों का विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर शैणीवार विवरण निम्नवत है-

सारणी-1

पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	01 जुलाई, 2018 को आयु (न्यूनतम-वधिकतम) वर्षों में।	पदों की संख्या					स्थायी/अस्थायी
					अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	
1-	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश।	रोड रोलर, चालक	लेवल- 2, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक मे न्यूनतम वेतन स्तर रु. 19900	21-40	01	00	00	00	01	स्थायी
2-	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश।	नक्शानवीस/मानचित्रक	लेवल-4, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक मे न्यूनतम वेतन स्तर रु. 25500, ग्रेड पे-2400	18-40	08	03	00	04	15	स्थायी
				कुल पद	09	03	00	04	16	

(1)- नोट उपर्युक्त -रिक्त दोनों प्रकार के पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी सारणी-3 मे उल्लिखित अनिवार्य अहर्ताएं अवश्य पढ़ ले तथा सम्बंधित पदों हेतु अपनी वरीयता देने के पूर्व ये सुनिश्चित कर ले कि वे उस पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अहर्ता धारित करते हैं।

(2)- अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय उस पद को Select करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका आवेदन उस पद हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा।

क्षैतिज आरक्षण का विवरण -

उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पदों पर क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है-

सारिणी-2

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
1-	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश।	रोड रोलर चालक	(i)- स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)- विकलांग (iii)- महिला (iv)- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक	00 00 00 00
2-	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश।	नक्षानवीस /मानचित्रक	(i)- स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित. (ii) विकलांग (iii)- महिला (iv)- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक	00 00 03 00

नोट- 1- उपरोक्त सारिणी में उत्तर प्रदेश के विकलांगजनों को 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण)(संशोधन) अध्यादेश 2018, शासनादेश दिनांक 03-08-2018 में विहित व्यवस्था एवं विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

2- विकलांगजनों हेतु आरक्षित पदों पर क्षैतिज आरक्षण विकलांग कल्याण अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 35/65-3-11-78/99 दिनांक 13-01-2011 के अनुसार देय होगा।

टिप्पणी

(1)- उपर्युक्त सारिणी -1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो पद के सम्मुख अंकित आय सीमा, जिसका विस्तृत विवरण आगे बिंदु-5 में दिया गया है, के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है, धारित करते हैं वे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2)- उत्तर प्रदेश की महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित एवं विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों अध्यादेशों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(4)- उपर्युक्त सारणी- 1 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

(5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

4 - अनिवार्य अर्हता - (शैक्षिक) उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों की अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) निम्नवत है-

सारिणी-3

पद क्रम सं.	विभाग का नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएँ
1	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश।	रोड रोलर चालक	<p>अनिवार्य अर्हता -</p> <p>1 - किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और</p> <p>2- यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम - 16 के अधीन रिक्त के अधिसूचित किये जाने के पूर्व से 03 वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।</p> <p>अधिमानी अर्हताएँ-</p> <p>1- माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।</p> <p>2- वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो।</p> <p>3- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।</p>
2	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश।	नक्शानबीस/मानचित्रक	<p>अनिवार्य अर्हता-</p> <p>1- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा, और</p> <p>2- इस नियमावली के परिशिष्ट "ग" में उल्लिखित कोई परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।</p> <p>परिशिष्ट "ग" - नक्शानबीस के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र-</p> <p>1- टामसन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुडकी या रुडकी विश्व विद्यालय या उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त नक्शानबीस का प्रमाण पत्र, या</p> <p>2- सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त वास्तुशिल्पीय डिजाइन और नक्शानबीस का डिप्लोमा, या</p> <p>3- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा वास्तुशिल्पीय सहायक का डिप्लोमा, या किसी अन्य राज्य द्वारा उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा, या</p> <p>4- विधि द्वारा स्थापित किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी और या नक्शानबीस का डिप्लोमा, या</p> <p>5- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा या किसी अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त नक्शानबीस (सिविल) या (यांत्रिकीय) का डिप्लोमा।</p>

नोट - रजिस्ट्रेशन करते समय यदि किसी अभ्यर्थी ने जिस बोर्ड से परीक्षा पास की है उसका नाम Drop Down Menu में नहीं है वह अभ्यर्थी Drop Down Menu में सबसे नीचे option OTHER BOARD दिया हुआ है, उसका चयन करें तथा अपने बोर्ड का नाम टाइप करें।

05- आयु सीमा - आयु गणना की निर्णायक तिथि 01 जुलाई 2018 है अर्थात उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत हो जिन पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है ऐसे पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01 जुलाई, 2018 को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1978 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2000 के बाद न हुआ हो और जिन पदों हेतु आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित है उन पदों के लिए अभ्यर्थी या 01 जुलाई, 2018 (01.07.2018) को 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई, 1978 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1997 के बाद न हुआ हो।

समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम, विद्यमान शासनादेश दिनांक- 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

मंडी परिषद/समिति के प्रश्नगत पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील एवं तदनुक्रम में अवमानना बाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- 30.10.2018 के अनुपालन में अवमाननाबाद से आच्छादित याचीगणों की नोट-01 के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में अधिवर्षता आयु तक की छूट तथा नोट- 2 के अनुसार मंडी परिषद/समिति के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद/समिति की सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

नोट- 1- मंडी परिषद के ऐसे कर्मचारियों जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नियंत्रणाधीन विभिन्न संघर्गों में वर्ष 2005 में रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 7545-7646/2001 के अवमानना बाद संख्या- 1861-1863/2017 एवं उपरोक्त सिविल अपील में अवमानना बाद संख्या- 804-806/2018 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- 30 अक्टूबर, 2018 से आच्छादित हैं अर्थात जो उक्त याचिका में पार्टी (वादकारी) है, को उच्चतम आयु में अधिवर्षता आयु की सीमा तक छूट अनुमन्य होगी।

ऐसे आवेदकगणों को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद मा० उच्चतम न्यायालय से प्राप्त आदेश की प्रति सहित अपने ऑनलाइन आवेदन की एक हार्डकापी आयोग को, विज्ञापन की अंतिम तिथि के 10 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

नोट- 2- मंडी परिषद के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद/समिति की सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

उपर्युक्त बिन्दु- 5- (1) व (2) में उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में छूट केवल मंडी परिषद/समिति के कर्मचारियों को ही अनुमन्य होगी, अन्य आवेदकों को नहीं।

06- आरक्षण-उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक / विकलांगजनों तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहते वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी

जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करने होंगे।

07-वरीयता (विकल्प)- अभ्यर्थी पदों की वरीयता का विकल्प अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नीचे दी गयी सारणी में अंकित करें-

क्रमांक सं.	विभाग का नाम	पदनाम	वरीयता क्रम कृपया टिक करें पदक्रमांक
1	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश।	रोड रोलर चालक	केवल रोड रोलर चालक <input checked="" type="checkbox"/> अथवा
3	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां, उत्तर प्रदेश।	नक्षानवीस/मानचित्रक	केवल नक्षानवीस/मानचित्रक <input checked="" type="checkbox"/> अथवा दोनों <input checked="" type="checkbox"/>

विशेष नोट- उपरोक्त तालिका में कोई भी अभ्यर्थी विहित योग्यता के अनुरूप केवल रोड रोलर चालक पद हेतु आवेदन कर सकता है अथवा केवल ड्राफ्ट मैन पद हेतु आवेदन कर सकता है अथवा रोड रोलर चालक एवं ड्राफ्ट मैन दोनों पदों (यथा योग्यता) के लिए आवेदन कर सकता है। दोनों पदों हेतु आवेदन करने की दृश्य में अभ्यर्थी को वरीयता देनी होगी।

- 1- अभ्यर्थी जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं | उन्हीं पदों के सापेक्ष वरीयता दे पायेंगे।
- 2- आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवीणता क्रम में जैसा की अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अहृता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए दी गयी वरीयता के आधार पर यथासंभव पद आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

-09 -चयन का आधार - लिखित परीक्षा - (ऑफलाइन/ऑनलाइन)राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (संयुक्त संघर्ष) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के पदों पर चयन सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 और उत्तर प्रदेश समूह "g" के पदों के लिए सीधी भर्ती के संबंध में कार्मिक अनुभाग - 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या - 04 /2017/ 1/1/2017- का -2 दिनांक 31.08.2017 के अनुसार (ऑनलाइन/ऑफलाइन) किया जायेगा। तदनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथासमय सूचित किया जायेगा।

10- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

- (1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- (2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगा।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्ती होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्ती होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) और पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) हैं।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

(9) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(10) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(11) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से सुकृति प्रदान न कर दी गई हो।

(12) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(13) संशोधित आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-3 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-4 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित अर्हता ही स्वीकार की जाएगी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता विचारण के अंतर्गत मान्य नहीं होगे।

(14) उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत चयनित महिलाओं को भी शासनादेश दिनांक- 26 फरवरी 1999 के प्राविधानानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबन्धित हैं।

(15) आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को सारणी- 1 में उल्लिखित पदों में सापेक्ष सारणी- 3 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उसके लिए विज्ञापन में वी गयी योग्यता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें।

-11- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुछि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

2- ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात, आवेदन में संशोधन कि अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आयोग कायालिय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाये सही-सही भरे। गलत जेंडर (लिंग) भरने अथवा जेंडर के अनुरूप फोटो चस्पा न करने कि दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर न भरे और न ही गलत फोटो चस्पा करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाये अंतिम है इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः अभ्यर्थी द्वारा यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन में कोई त्रुटि संज्ञान में आती है तो आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर ले।

3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

- 4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
- 6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अहं नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 8- निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 9- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपचारिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- 10- कदाचय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्ब्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है।
- 11- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाये आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु लगातार आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 12- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- 13- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता/अर्हताएँ नहीं रखते हैं वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।
- 14- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाएं कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अहं हैं।
- 15- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन /

चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिस पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।

16-यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट के Homepage पर उपलब्ध FAQ के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

17- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 12.01.2019 है।

(टाइक 28.12.2018)

॥१
सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

परिशिष्ट-४

उम्प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी	नियासी गांग	जिला	उत्तर प्रदेश राज्य की	तहसील	जाति के घटित है जिसे लिखित	सुनूर/ सुपुत्री श्री
(अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जोकि कि समय-समय) पर संशोधित हुआ)/ राजिकान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।						नाम
श्री/ श्रीमती/ कुमारी	नियासी गांग	तहसील	तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के	नाम	जिला	
प्रमाण	में सामाजिकता रहता है।					
स्थान						
दिनांक						
मुहर						
			जिलाधिकारी/ अधिकारी/ जिलाधिकारी/ सिटी मणिस्ट्रेट/ परगना मणिस्ट्रेट/ तहसीलदार/			
			अन्य वेतन शोधी मणिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला जनाज वास्तव अधिकारी			

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी	नियासी गांग	जिला	उत्तर प्रदेश राज्य की	तहसील	नाम	सुनूर/ सुपुत्री श्री
जन जातियों तथा अन्य पिछड़ी वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (प्रथमसंसदीय) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।			पिछड़ी जाति के घटित है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ी वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2001 (प्रथमसंसदीय) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।			
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी						
(जिसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ी वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (प्रथमसंसदीय) अधिनियम, 2002 द्वारा चंदोधित की गयी है, से आधारित नहीं है। इनके मात्रा-प्रिया को नियंत्र तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय के लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1997 में दर्या विहित एट जीवा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।						
श्री/ श्रीमती/ कुमारी	नाम	जिला	तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के आग			
तहसील			में सामाजिकता रहता है।			
स्थान						
दिनांक						
मुहर						
			जिलाधिकारी/ अधिकारी/ जिलाधिकारी/ सिटी मणिस्ट्रेट/ परगना मणिस्ट्रेट/ तहसीलदार			

उत्तराखण्ड के विकलांगों के लिये प्रमाण—पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum.

Son/Wife/Daughter of Shri age

Sex identification mark (S) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- (i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No
- (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yes/No
- (iii) L-can perform work by lifting Yes/No
- (iv) KC-can perform work by kneeling and couching. Yes/No
- (v) B-can perform work by bending. Yes/No
- (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No
- (vii) ST-can perform work by standing. Yes/No
- (viii) W-can perform work by walking Yes/No
- (ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No
- (x) H-can perform work by hearing/speaking Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No	
(Dr.....)	(Dr.....)	(Dr.....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HQ
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उत्तरांचल संग्राम सेनानियों के आक्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ नाम
तदस्तीत _____ सेवा (शास्त्रीय रूप से विद्यालय, स्वतंत्रता याचार सेनानियों के आक्रित और भूतपूर्व सेनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आक्रित) _____ पुत्र/ पुत्री/ बेटा/ बेटी विवाहित/ अविवाहित अधिनियम 1993 के ही प्रमाणित के अनुसार उपर श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) _____ के आक्रित हैं।

इस्ताबद्दि	पूरा नाम
स्थान	मुहर
दिनांक	जिलाधिकारी
	सील

कशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उत्तरांचल के मूल निवासी है

सासानादेश संघर्ष—22/21/1993—कार्यक्रम—2 दिनांक 20 जून 1995
प्रमाण-पत्र के छार्ट—1 से 4
प्राप्ति—1
(भाग्यवत् प्राप्त श्रीग्रा/ घोल में आपने देरा की ओर से अत्तरांचलीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
साप्तनिक खेल की साफ्टीय फैडरेशन/ शाफ्टीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की संकरी/ पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ आमता/ घोली/ आत्मजा श्री _____ निवासी मूरा यता _____ ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) _____ में प्रतियोगिता/ दूरबिन्द में देश की ओर से भाग लिया। उनके द्वारा उपर प्रतियोगिता/ दूरबिन्द में _____ रथान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र शाफ्टीय फैडरेशन/ शाफ्टीय एसोसिएशन/ (यहाँ संघर्ष का नाम दिया जाये) _____ में उपलब्ध रिपोर्ट के अधार पर दिया गया है।

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पत्र

संस्था का नाम _____

मुद्र

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फॉडरेशन/ नेशनल ऐसोसिएशन के संचय द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्राप्ति-२

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सचिवालय की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की संवादी/पर्दो पर नियुक्ति के लिए सुनाते

प्रधानित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आखज/ पर्दी/ आसजा श्री नियासी (पुरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (श्री/ श्रीमती/ श्री/ कुमारी का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) रूपयोग किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान दस्तावेज

दिनांक नाम

पद

संस्था का नाम

पता

मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कुद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिये गये हस्ताक्षर लेने पर ही मान्य होगा।

प्राप्ति-३

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से वार्षिकविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

प्रधानित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ श्रीमती राज्य सरकार की संवादी/पर्दो पर नियुक्ति के लिए प्रमाण-पत्र ने दिनांक से दिनांक तक विश्वविद्यालय की कमी के लियार्थी ने दिनांक आखज/ पर्दी/ आसजा श्री नियास (पुरा पता) (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय (कीड़ा/ खेल-कुद का नाम) प्रतियोगिता/ टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके द्वारा उपक्रम प्रतियोगिता/ टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र द्वारा इन्हाँसे खेल-कुद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान दस्तावेज

दिनांक नाम

पर

संस्था का नाम

मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र दिव्यविद्यालय के द्वारा ऑफ स्पॉर्ट्स या इंसर्ज खेल-कुद द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिये गये हस्ताक्षर लेने पर ही मान्य होगा।

प्राप्ति-४

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने कुद की ओर से राष्ट्रीय खेल-कुद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्टर ऑफ फॉलक इन्स्ट्रुमेंट्स/ निवेशक, शिला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की संवादी/पर्दो पर नियुक्ति के लिये कुछल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रधानित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आखज/ पर्दी/ आसजा श्री नियासी (पुरा पता) में रक्त में बक्का के लियार्थी ने दिनांक दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कॉल के नेशनल फ्रेस्ट की (कीड़ा/ खेल-कुद का नाम) की प्रतियोगिता/ टूर्नामेंट में कुद की ओर से भाग लिया। उनके द्वारा ताक उपक्रम प्रतियोगिता/ टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डायरेक्टर ऑफ फॉलक इन्स्ट्रुमेंट्स/ निवेशक में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान दस्तावेज

दिनांक नाम

पद

संस्था का नाम

पता

मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निवेशक/ या अमीरिका/ संयुक्त या उपनिदेशन डाइरेक्टर ऑफ फॉलक इन्स्ट्रुमेंट्स/ निवेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती निवासी :

नाम—

राहरील

निवास—

जिला— उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित).....

पुत्र/ पुत्री/ पोत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पोत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

रखान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी
(सील)